भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2004

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनआरएचएम के अतर्गत महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

2004. श्री अमर शरदराव काले:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री संजय दीना पाटिल:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) लागू कर रही है और यदि हां, तो उसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र सहित पूरे देश में एनआरएचएम कार्यक्रम के अंतर्गत पर्याप्त वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का विचार है:

(ग) एनआरएचएम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारियों/दंत चिकित्सकों/नेत्र रोग विशेषज्ञों की भर्ती संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश में एनआरएचएम के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा राज्य -वार किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण आबादी को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य देखरेख केंद्र स्थापित करने का विचार है; और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे केंद्रों की स्थापना करने के लिए स्वीकृत बजट सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अन्य उप-मिशनों के रूप में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत उप-मिशन है। इसे देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का उद्देश्य स्वास्थ्य के व्यापक सामाजिक निर्धारकों का निराकरण करने के लिए प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण कार्रवाई के साथ लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी-साम्य, किफायती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।

पिछले तीन वर्षों में एनआरएचएम के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे सूचीबद्ध हैः

लक्ष्य (2021-26 के लिए एनएचएम विस्तार के अनुसार)	**स्थिति**	
एमएमआर को प्रति 1 लाख पर 87 तक कम करना	प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 97 (एसआरएस 2018-20)	प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 113 (एसआरएस 2016-18)
आईएमआर को प्रति हजार 22 तक कम करना	प्रति हजार पर 28 (एसआरएस 2020)	प्रति हजार पर 32 (एसआरएस 2018)
राष्ट्रीय स्तर पर टीएफआर को 2.0 तक बनाए रखना	2.0 (एनएफएचएस 5)	2.2 (एनएफएचएस 4)

(ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य मानव संसाधन (विशेषज्ञ, डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की भर्ती के लिए

सहायता सहित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

(घ): एनएचएम के अंतर्गत, समीक्षा बैठकों, मुख्य डिलिवरेबल्स की मध्यावधि समीक्षाओं, वरिष्ठ अधिकारियों के फील्ड दौरों, सेवा प्रदायगी के लिए बेंचमार्क स्थापित करके निष्पादन को बढ़ावा देने और उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत करने आदि के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निष्पादन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों की प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से साझा समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं। सीआरएम की विभिन्न रिपोर्टों का ब्यौरा पब्लिक डोमेन https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=795&lid=195 पर उपलब्ध है।

(ङ): ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2022 के अनुसार, 1 जुलाई, 2022 को महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:

(इकाई में संख्या)

स्वास्थ्य अवसंरचना	अपेक्षित	उपलब्ध	कमी
उप-केंद्र	193310	157935	48060
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	31640	24935	9742
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	7894	5480	2852

*कुछ राज्यों में मौजूदा अतिरेक पर ध्यान नहीं देते हुए अखिल भारतीय कमी को राज्यों की कमी के आंकड़ों को जोड़कर प्राप्त किया गया है।

व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए मौजूदा एसएचसी और पीएचसी का उन्नयन करके 30.06.2024 तक, महाराष्ट्र सहित देश में कुल 1,73,410 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यशील बनाए गए हैं, जिनसे सार्वभौमिक, मुफ्त और समुदाय के करीब निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, प्रशामक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की गई है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए हैं और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की सुविधा प्रदान करेंगे। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक महाराष्ट्र राज्य के लिए एफसी-XV स्वास्थ्य अनुदान के तहत 7067 करोड़ रुपये की कुल राशि आवंटित की गई है।

(च): एनएचएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिसमें आईपीएचएस पर आधारित विशेषज्ञताओं को जोड़ना अथवा नर्सिंग/पराचिकित्सक/डीएनबी पाठ्यक्रम आदि शुरू करने के लिए प्रशिक्षण हब के रूप में विकसित करना शामिल है।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये की राशि के साथ पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए गए उपायों में वर्तमान और भावी महामारियों/आपदाओं के संबंध में प्रभावी ढंग से अनुक्रिया करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने हेतु प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक महाराष्ट्र राज्य के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत 1195.15 करोड़ रुपये की कुल धनराशि आवंटित की गई है। पीएम-एबीएचआईएम के तहत, योजना अवधि के दौरान 730 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल), 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) और 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

*****